संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नं. 3, भोपाल – 462016
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/दि.स./2026/I/898028/2026 भोपाल, दिनांक **23-03-2026**

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय : दिव्यांगजनों हेतु सार्वजनिक शासकीय एवं अशासकीय भवनों की सुगम्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **Access Social Audit** हेतु जिला स्तरीय टीम गठन बाबत।

---0---

विषयांतर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक शासकीय एवं अशासकीय भवनों को सुगम्य (Accessible) बनाए जाने हेतु Access Audit कराया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त कार्य हेतु जिले में Access Audit संपादित किए जाने हेतु 05 सदस्यीय जिला स्तरीय टीम का गठन दिनांक **18.03.2026** के पूर्व किया जाए, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित हों—

जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) के **02** तकनीकी/प्रशिक्षित कर्मचारियों के नेतृत्व (वरिष्ठ कर्मचारी को टीम प्रमुख) में दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हुए –

- एक अस्थिबाधित दिव्यांग,
- एक दृष्टिबाधित दिव्यांग,
- एक श्रवणबाधित दिव्यांग

उक्त गठित टीम द्वारा प्राथमिक रूप से जिले के समस्त शासकीय सार्वजनिक भवनों (जिला कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय , माननीय जिला न्यायालय परिसर, जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिला अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन,नगर निगम, नगर परिषद् कार्यालय एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन आदि) का भ्रमण कर Access Social Audit किया जाएगा।

ऑडिट के दौरान टीम द्वारा विशेष रूप से निम्न बिंदुओं का परीक्षण/अवलोकन किया जाएगा—

- भवन में लिफ्ट, रैंप, हैंडरेल / रेलिंग की जहां आवश्यकता है, स्थान का फोटो सहित उल्लेख करें।
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों हेतु ब्रेल लिपि में सूचना/साइन बोर्ड की जहां आवश्यकता है, स्थान का फोटो सहित उल्लेख करें।
- श्रवण बाधित व्यक्तियों हेतु दृश्य संकेतक, सूचना पटल एवं आवश्यक जानकारी की जहाँ-जहाँ आवश्यकता है, स्थान का फोटो सहित उल्लेख करें।
- दिव्यांगजनों के अनुकूल साइनएज, दिशासूचक सूचना, चेतावनी एवं आवश्यक निर्देश जहाँ-जहाँ आवश्यक प्रतीत होते हैं, स्थान का फोटो सहित उल्लेख करें।
- भवन के भीतर एवं बाहर जैसे - दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य प्रसाधन कक्ष, दिव्यांगजनों की वाहन पार्किंग, दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक अन्य संरचनात्मक स्थान जैसे- प्रतीक्षा में बैठने की व्यवस्था/सूचनात्मक व्यवस्थाएँ

टीम द्वारा निरीक्षण उपरांत भवन-वार आवश्यक सुधारात्मक उपायों को फोटोग्राफ सहित दर्शाते हुए Access Social Audit Report तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में सार्वजनिक भवनों को पूर्णतः दिव्यांगजन-सुगम्य बनाया जा सके।

उल्लेखनीय है, कि उपरोक्त टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक Access Social Audit मानदेय का प्रावधान किया जा रहा है। जिसमें डी.डी.आर.सी. के एक्सेस ऑडिट कर्मचारियों (प्रत्येक को) **300-300** रूपए एवं प्रत्येक दिव्यांग को प्रत्येक एक्सेस ऑडिट पर **300-300** रूपए का मानदेय के साथ- साथ गंतव्य स्थान पर आने- जाने के लिए परिवहन व्यय **500** रूपये निर्धारित किया जा रहा है। Access Social Audit कार्य समयबद्ध रूप से संपादित कराए जाने हेतु तदनुसार एक या एक से अधिक टीम दिनांक **18.03.2026** के पूर्व गठित करने का कष्ट करें। जिससे कि दिनांक **25.03.2026** को राज्य द्वारा व्ही.सी. के माध्यम से टीम को प्रशिक्षित किया जा सके।

(नोट:-**1.** उपरोक्त टीम जिले के समस्त शासकीय सार्वजनिक भवनों का एक्सेस ऑडिट कर ऑडिट रिपोर्ट का कम्पाईल रिपोर्ट तथा मानदेय हेतु दिनवार विस्तृत विवरणों सहित टी.ए. बिल के प्रपत्र में संचालनालय में प्रस्तुत करेगी जिससे उनका मानदेय प्रदान किया जा सके।

2. दिनांक **25.03.2026** को रेगुलर होने वाली व्ही.सी. (समय- दोपहर **2.00** से सायं **4.30**) में उपरोक्त टीम को प्रशिक्षण दिया जाएगा । अत: समस्त विभागीय संयुक्त/उप संचालक, व्ही.सी. में एक्सेस ऑडिट टीम की उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं स्वयं भी उपस्थित रहें)।

Digitally signed by
Sonali Ponkshe Vayangankar
Date: 23-03-2026 11:26:40

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/दि.स./2026/I/898028/2026 भोपाल, दिनांक **23-03-2026**

प्रतिलिपि :

- समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त प्रशासनिक अधिकारी जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, म.प्र.।

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश, भोपाल